

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

संख्या- 759 / रा0मे0का0आ0 / 2018


दिनांक- 28 / 08 / 2018

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेल्टी हास्पिटल, आजमगढ़ में यौन उत्पीड़न समिति निम्नवत गठित की जाती है-

क्रम संख्या	नाम	पद
01	डा0 आर0पी0 शर्मा	अध्यक्ष
02	डा0 पद्मावती गौतम	संयोजक सदस्य
03	डा0 एम0के0 गुप्ता	सचिव
04	डा0 मनीषा उपाध्याय	सदस्य
05	डा0 इशरत फातिमा मजीदी	सदस्य
06	डा0 मधु यादव	सदस्य
07	डा0 इजमत जलील	सदस्य
08	डा0 अनन्ता जायसवाल	सदस्य
09	डा0 अमित पटेल	सदस्य
10	डा0 कुमुद रंजन	सदस्य
11	श्री रितेश कुमार गुप्ता	कानूनी सलाहकार
12	श्री राधेश्याम गौतम (एन0जी0ओ0)	एन0जी0ओ0 प्रतिनिधि
13	सुश्री कमला देवी पटेल	आशुलिपिक


समस्त सम्बन्धित सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।


27-8-18
प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्या- 759 / रा0मे0का0आ0 / 2018.....तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेल्टी हास्पिटल, आजमगढ़।
02. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, डा0 सैयद नियाज हसन।
03. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी/फैसेल्टी राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।
04. समस्त नोटिस बोर्ड, राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।
05. समस्त सम्बन्धित अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।


27-8-18
प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

0/c